DD(H)

Pl indicate revised pay scales

H.A.

Pl do the needful at once

to DDH

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या 7202/आठ-9-31(91)-79

लखनऊ, दिनांक 27 नवम्बर, 1980

4/8/82

कार्यालय-ज्ञाप

for compliance

विषयः---अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश की स्थापना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के लागू होने के बाद प्रभावी एवं निष्पक्ष अभियोजन की दृष्टि से प्रदेश में एक स्वतन्त्र अभियोजन निदेशालय की स्थापना का प्रश्न पर्याप्त समय से शासन के विचाराधीन था। इस सिलसिले में भारत के विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट में की गयी संस्तुतियों एवं शासन द्वारा गठित ऋषिराय समिति की संस्तुतियों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय ने उक्त संहिता की धारा 25 के अधीन नियुक्त मैजिस्ट्रेट न्यायालयों में पैरवी करने वाले सहायक लोक अभियोजकों, (असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर्स) के समस्त कार्य पर प्रभावी नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु अलग से अभियोजन निदेशालय, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा, स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

2---राज्यपाल महोदय निदेशालय के मुख्यालय हेतु अनुलग्नक-1 में तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में तथा जिला कार्यालयों के लिए अनुलग्नक-2 में, उल्लिखित अस्थाई पदों को, उसके सम्मुख निर्दिष्ट वेतनमानों में, पदों के भरे जाने की तिथि जो इस आदेश के पूर्व की न होगी से 28 फरवरी, 1981 तक, यदि उन्हें इसके पूर्व ही बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3---स्वीकृत पदों के धारकों को अपने पद के वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई एवं अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

4---चूंकि अभियोजन निदेशालय की स्थापना, अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग के वेतन, भत्तों आदि पर होने वाले व्यय तथा अनुलग्नक-3 में अंकित स्टाफ कार, साज-सज्जा आदि के क्रय व अन्य मदों पर होने वाले व्यय के लिये चालू वित्तीय वर्ष 1980-81 के आय-व्ययक में कोई प्राविधान नहीं है और यह व्यय अत्यावश्यक एवं अपरिहार्य है, अतः इस प्रयोजन के लिये राज्य विधान मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में श्री राज्यपाल ने राज्य आकस्मिकता निधि से रुपया 12,68,000 (बारह लाख अड़सठ हजार रुपये) केवल की धनराशि अग्रिम के रूप में आहरित करने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस धनराशि की प्रतिपूर्ति बाद में अनुपूरक मांगों के माध्यम से की जायेगी।

5---साज-सज्जा, उपकरण, फर्नीचर, स्टाफ कार आदि का क्रय निदेशक, अभियोजन निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा क्रय किये गये वस्तुओं का विवरण वे यथासमय शासन को सूचित करेंगे तथा उसका लेखा जोखा विधिवत् रखना सुनिश्चित करेंगे।

6---अभियोजन निदेशालय का ढांचा अनुलग्नक-4 में दिया गया है। तद्नुसार मुख्यालय पर एक उप-निदेशक अभियोजन निदेशक की सहायता के लिये अन्य सपोर्टिंग स्टाफ के साथ रहेगा। प्रशासकीय सुविधा के लिये प्रदेश को 4 क्षेत्रों लखनऊ, बरेली, वाराणसी व आगरा में बांट दिया गया है। प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत अनुलग्नक-4 में निर्दिष्ट मण्डल व जिले सम्मिलित रहेंगे।

7---अभियोजन निदेशक, उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय), क्षेत्रीय उप निदेशक अभियोजन, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, अभियोजन अधिकारी तथा सहायक अभियोजन अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व अनुलग्नक-5 में दिये हैं। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों तथा सहायक अभियोजन अधिकारियों का वर्तमान स्वीकृत नियतन अनुलग्नक 6 में दिया गया है।

8---अभियोजन निदेशालय की स्थापना के फलस्वरूप अभियोजन शाखा के लिये पूर्व स्वीकृत सहायक अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के समस्त पद तथा ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों के कार्यालयों के लिये 11 जिलों (जिनके नाम अनुलग्नक-2 में इंगित हैं) में स्वीकृत कार्यालय चपरासी के पद तथा कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी अभियोजन निदेशालय के प्रशासकीय नियन्त्रण में आ जायेंगे तथा उनसे सम्बन्धित अभिलेखादि पुलिस महानिरीक्षक द्वारा निदेशालय को शीघ्रातिशीघ्र हस्तांतरित किये जायेंगे।

9—निदेशक अभियोजन तथा उप निदेशक अभियोजन के पदों पर नियुक्ति तथा अधिकारों के प्रतिनिधायन एवं अन्य नव सृजित पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

10—नयी व्यवस्था के फलस्वरूप वर्षों से चली आ रही पुरानी व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक, अभियोजन अधिकारियों के कार्य पर नियन्त्रण रखते थे, समाप्त हो जायेगी। फलस्वरूप जिला स्तर पर सहायक अभियोजन अधिकारियों एवं अभियोजन अधिकारियों (प्रभारी अभियोजन अधिकारियों को छोड़ कर) द्वारा मामलों की विवेचना के सम्बन्ध में दिये गये योगदान के बारे में वार्षिक मन्तव्य देने का अधिकार पुलिस अधीक्षक को होगा, किन्तु अभियोजन कार्य के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार इन्हें न होगा। प्रतिवेदक अधिकारी के लिये यह अनिवार्य होगा कि इस मन्तव्य को वह उनकी वार्षिक प्रविष्टि में अक्षरशः शामिल करेंगे तथा ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों एवं प्रभारी अभियोजन अधिकारियों के सम्बन्ध में प्रतिवेदक अधिकारियों के लिये यह पर्याप्त होगा कि वह पुलिस अधीक्षक की राय प्राप्त कर वार्षिक प्रविष्टि देते समय उसका समुचित उपयोग करें।

11—अभियोजन निदेशालय की स्थापना के तुरन्त बाद ही अभियोजन अधिकारियों के सहायतार्थ पुलिस विभाग में पूर्व स्वीकृत या पूर्व विद्यमान लिपिकीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों को आवश्यकतानुसार बनाये रखने/समाप्त करने/पुलिस विभाग में जहां तेजी से जिला फोर्स का विस्तार हो रहा है, समायोजित करने के विषय पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

12—उपर्युक्त के अतिरिक्त, अभियोजन निदेशालय के संबंध में निम्नलिखित निर्णय भी लिये गये हैं:—

1—अभियोजन निदेशालय गृह विभाग के अधीन होगा और इसके अन्तर्गत मैजिस्ट्रेट न्यायालयों के अभियोजन कार्य तथा सहायक लोक अभियोजकों (सहायक अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी) के समस्त कार्य, नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण का कार्य होगा।

2—निदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश के पद पर उप पुलिस महानिरीक्षक के स्तर के पुलिस सेवा के अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी, पर वह पुलिस महानिरीक्षक के नियन्त्रण में कार्य नहीं करेंगे और न ही पुलिस के अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

3—जिन जनपदों में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के पद स्वीकृत हैं उनमें ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी जिला प्रभारी अधिकारी होंगे तथा अन्य जिलों में जहां ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी नियुक्त नहीं हैं वरिष्ठतम अभियोजन अधिकारी प्रभारी अधिकारी होंगे।

4—नयी व्यवस्था को सफल एवं प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये जिला स्तर पर जिला मैजिस्ट्रेट की प्रभावशाली भूमिका रहेगी और वह अभियोजन कार्यों तथा अभियोजन कार्यालय के अधिकारियों को कार्य पर प्रभावी नियन्त्रण रखने में और उसमें पूर्ण रुचि लेंगे। इस सम्बन्ध में निम्नांकित उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे :—

अ—जिलाधिकारी—जनपद में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों पर तात्कालिक पर्यवेक्षण (इमीडिएट सुपरवीजन) रखेंगे।

ब—जिला स्तर पर अभियोजन शाखा के अधिकारियों के आहरण एवं वितरण अधिकारी जिलाधिकारी होंगे तथा इन अधिकारियों के वेतन आदि के आहरण एवं वितरण का प्रबन्ध जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

स—जिलाधिकारी सत्र न्यायालय में पैरवी करने वाले लोक अभियोजक और ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी प्रभारी के बीच समुचित समन्वय सुनिश्चित करेंगे, जिसका मुख्यतः सम्बन्ध सत्र न्यायालय को संदर्भित मुकदमों के कलेन्डर, सत्र न्यायालयों में प्रेषित जमानत प्रार्थना-पत्र संबंधी अभिलेख, गवाहों के लिए अभियोजन अधिकारी के माध्यम से सम्मन जारी करवाने व अपील व विमुक्ति रिपोर्ट से होगा।

13—उपर्युक्त मदों पर होने वाला व्यय प्रथमतः राज्य आकस्मिकता निधि के नामे डाला जायेगा तथा बाद में चालू वित्तीय वर्ष 1980-81 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 19 के अधीन लेखा शीर्षक "214-न्याय प्रशासन-आयोजनेतर—क—कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता—लोक अभियोजन शाखा अधिष्ठान" के अन्तर्गत संगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

हरगोविन्द डबराल
सयुक्त सचिव।

वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–12

संख्या : /दस–ई 12–रा0आ0निधि–1980–81

प्रतिलिपि, अनुलग्नक 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 की प्रतियों सहित, महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
गिरिजा सिंह,
अनु सचिव, वित्त ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–9

संख्या: 7202(1)/आठ–9–31(91)-79, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:—

1—सचिव, राज्यपाल, उ0 प्र0।
2—सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
3—निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—निदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2—पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/इलाहाबाद।
3—समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4—समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6—जिला पुलिस अधीक्षक एवं प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
कुँर गोविन्द,
संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक-I

अभियोजन निदेशालय के मुख्यालय हेतु स्वीकृत स्टाफ

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पदो की संख्या
1	2	3	4
1	निदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश। ..	अभियोजन सेवा के अधिकारी के लिये 1200–50–1500–द0रो0–60–1800 तथा अन्य सेवा के अधिकारी के लिये उनकी सेवा के पद का वेतनमान अन्य अनुमन्य भत्तों के साथ।	1
2	उप निदेशक (मुख्यालय)	800–50–1050–द0रो0–50–1300–द0रो0–50–1450। (1250—2050)	1
3	अभियोजन अधिकारी ..	450–25–575–द0 रो0–25–700–द0 रो0–30–850 (690–1420)	1
4	सहायक अभियोजन अधिकारी। ..	350–15–500–द0 रो0–20–600–द0रो0–25–700 (625–1170)	2
5	प्रधान सहायक ..	400–15–475–द0रो0–20–575–द0रो0–25–750 (625-1360)	1
6	निदेशक अभियोजन के वैयक्तिक सहायक। ..	350–15–500–द0रो0–20–600–द0रो0–25–700 (570–1070)	1
7	निदेशक का आशुलिपिक	250–7–285–द0रो0–9–375–द0रो0–10–425- (470–735)	1
8	उपनिदेशक का आशुलिपिक	तदैव -do-	1
9	ज्येष्ठ आलेखक प्रालेखक	280–8–296–9–350–द0रो0–10–400–द0 रो0–12–460। (515–860)	3
10	लेखाकार ..	230–6–290–द0रो0–9–335–द0रो0–10–385। (430–685)	1
11	कनिष्ठ आलेखक प्रालेखक तथा रिकार्डर।	200–5–250–द0 रो0–6–280–द0रो0–8–320। (354–550)	4
12	अर्दली चपरासी ..	165–2–185–द0रो0–3–215। (305–390)	3 (दो निदेशक के लिये तथा एक उपनिदेशक के लिये)
13	कार्यालय चपरासी ..	165–2–185–द0रो0–3–215।	1
14	चौकीदार ..	तदैव	1
15	सफाई कर्मचारी (स्वीपर)	तदैव	1
16	ड्राईवर	175–3–205–द0रो0–4–225–द0रो0–5–250 (330–495)	1
		कुल पद..	24

अनुलग्नक–2

क्षेत्रीय उपनिदेशक कार्यालयों तथा जिला स्तर पर ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी प्रभारी के लिये स्वीकृत स्टाफ।

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
		रु0	
1	क्षेत्रीय उपनिदेशक (लखनऊ, बरेली, आगरा तथा वाराणसी)	800–50–1050–द0रो0–50–1300 द0रो0–50–1450 (1250–2050)	4 (प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक)
2	आशुलिपिक (क्षेत्रीय उपनिदेशक) ..	250–7–285–द0रो0–9–375 द0रो0–10–425। (470–735)	4 (प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक)
3	ज्येष्ठ आलेखक-प्रालेखक	280–8–296–9–350–द0रो0–10–400–द0रो0–12–460। (575–860)	4 (प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक)
4	रुटीन ग्रेड क्लर्क ..	200–5–250–द0रो0–6–280 द0रो0–8–320। (354–550)	8 (प्रत्येक क्षेत्र में दो-दो)
5	लेखाकार ..	230–6–290–द0रो0–9–335–द0रो0–10–385 (430–685)	4 (प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक)
6	अभिलेखाकार ..	तदेव	4 (प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक)
7	अर्दली चपरासी ..	165–2–185 द0रो0–3–215 (305–390)	4 (प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक)
8	कार्यालय चपरासी ..	तदेव	4 (प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक)
9	सफाई कर्मचारी (स्वीपर)	तदेव	4 (प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक)
10	स्टेनो टाइपिस्ट (जिला ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी प्रभारी के लिये) ..	230–6–290–द0रो0–9–335–द0रो0–10–385। (430–685)	56 (प्रत्येक जिले में एक-एक)
11	चपरासी (जिला ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी प्रभारी के कार्यालयों क लिए) ..	165–2–185–द0रो0–3–215 (305–390)	45 (आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, बस्ती, फतेहगढ़ व मुरादाबाद जहां पूर्व से ही एक-एक पद स्वीकृत है को छोड़कर शेष 45 जिलों में एक-एक पद)
		कुल ..	141 पद

अनुलग्नक--3

अभियोजन निदेशालय की स्थापना पर आने वाला व्ययभार अनुमानित

	रु0
1--अतिरिक्त पदों के सृजन पर होने वाला व्यय	3,12,000--00
2--(1) स्टाफ कार	42,000--00
(2) पेट्रोल व रख-रखाव पर व्यय	3,000--00
3--टेलीफोन लगाने पर व्यय	
(1) निदेशक कार्यालय-1 घर पर-1	
(2) मुख्यालय के कार्यकाल में-1	
(3) उपनिदेशक (मुख्यालय तथा उप निदेशक (क्षेत्रीय)-10 (5 कार्यालय पर 5 घर पर)	
(4) ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अभियोजन अधिकारी प्रभारी (अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तर काशी, टेहरी, गढवाल तथा पौड़ी गढ़वाल को छोड़कर)-कार्यालय में--50 प्रत्येक जिलों में व निदेशालय में कुल--63	3,72,000--00
4--पुस्तकालयों के लिये	2,00,000--00
5--फर्नीचर--61 कार्यालयों के लिये	
(1) स्टील आलमारी--6 (2 निदेशालय तथा 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए	9,000--00
(2) कुर्सियां, मेज (अधिकारियों की) आदि तथा कार्यालय कुर्सियां, मेज, बेंच, रैक्स (तीन हिन्दी टंकन यंत्र एक-एक निदेशक तथा उप निदेशक मुख्यालय के लिये एवं एक मुख्यालय कार्यालय के लिये)	1,60,000--00
(3) स्टेशनरी तथा आकस्मिक व्यय	2,70,000--00
6--निदेशालय भवन व जिलों के भवन (किराये पर) बिजली पानी	1,50,000--00
आवर्तक ..	4,65,000--00
अनावर्तक ..	8,03,000--00
कुल व्यय ..	12,68,000--00

अनुलग्नक—4

निदेशालय का ढांचा

निदेशक	अभियोजन	उत्तर प्रदेश	
(1) उपनिदेशक अभियोजन, लखनऊ क्षेत्र	उपनिदेशक अभियोजन, आगरा क्षेत्र	उपनिदेशक अभियोजन वरेली क्षेत्र	उपनिदेशक अभियोजन वाराणसी क्षेत्र

(5)

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (क्षेत्र में सम्मिलित जिलों के) अभियोजन अधिकारी सहायक अभियोजन अधिकारी	उप निदेशक मुख्यालय ।

नोट:—जिस जिले में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी न हो वहां पर जिले के वरिष्ठतम अभियोजन अधिकारी इन्चार्ज होंगे ।

क्षेत्रों का विभाजन

1—लखनऊ क्षेत्र ..	लखनऊ तथा फैजावाद मण्डल के 12 जिले ।	(लखनऊ, हरदोई, खीरी, रायवरेली, उन्नाव, सीतापुर, फैजावाद, वहराइच, बाराबंकी, गोण्डा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर ।
2—वरेली क्षेत्र ..	वरेली मण्डल, गढ़वाल मंडल कुमायूं तथा मुरादावाद मंडल के 15 जिले ।	(वरेली, वदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादावाद, रामपुर, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून, विजनौर)
3 आगरा क्षेत्र ..	आगरा मंडल, मेरठ मंडल व झांसी मंडल के 15 जिले ।	(आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, वुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियावाद, वांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर) ।
4—वाराणसी क्षेत्र ..	वाराणसी, गोरखपुर तथा इलाहावाद मंडल के 14 जिले ।	(वाराणसी, वलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, वस्ती, देवरिया, गोरखपुर, इलाहावाद, इटावा, फर्रुखावाद, फ़तेहपुर, कानपुर) ।

अनुलग्नक—5

अभियोजन निदेशक उत्तर प्रदेश के कर्त्तव्य एवं दायित्व

अभियोजन निदेशक प्रदेश के अभियोजन संगठन के अध्यक्ष होंगे तथा मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में पैरवी करने वाले समस्त लोक अभियोजकों का प्रशासकीय नियंत्रण सम्पूर्ण रूप से उनमें निहित होगा।

2—उनका स्तर विभागाध्यक्ष का होगा तथा उन्हें वह सभी प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त होंगे जो सामान्यतया एक विभागाध्यक्ष में प्रतिनिहित होते हैं।

3—वह अपने निदेशालय, क्षेत्रीय उपनिदेशकों के कार्यालय तथा ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों के कार्यालयों के अराजपत्रित कर्मचारियों, अभियोजन अधिकारियों तथा सहायक अभियोजन अधिकारी के नियुक्ति अधिकारी होंगे तथा इन श्रेणियों के कर्मचारियों के स्थानान्तरण तैनाती आदि करने का उन्हें अधिकार होगा।

4—उनका प्रशासकीय नियंत्रण उपनिदेशक अभियोजन (मुख्यालय) क्षेत्रीय उपनिदेशकों तथा ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों के ऊपर भी रहेगा और वे इन अधिकारियों की चरित्र पंजिकाओं में उनके कार्य तथा आचरण के बारे में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अंकित करेंगे व उन्हें शासन को अन्तिम अनुमोदन हेतु भेजेंगे।

5—वह विधिक मामलों में फौजदारी कार्यवाही के किसी भी स्तर पर (तफतीश के स्तर को सम्मिलित करते हुए) जटिल व महत्वपूर्ण मामलों जैसे षड़यन्त्र, जालसाजी, धोखाधड़ी जिसमें साक्ष्य परिस्थितियों व उपलब्ध लेखा अभिलेखों पर आधारित हो, में पुलिस विभाग तथा शासन के जिला स्तरीय विभागों को आवश्यकतानुसार परामर्श देंगे।

6—ऐसे समस्त विधिक/प्रशासकीय मामले जो क्षेत्रीय उपनिदेशक तथा ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों द्वारा परामर्श/आदेशों के लिए भेजे जायें उनमें परामर्श/आदेश देंगे।

6 (ए)—पुलिस संगठन के राज्य स्तर पर विधि सलाहकार होंगे।

7—प्रदेश के समस्त अभियोजन कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे व अभियोजन की स्थिति से शासन को आवधिक विवरण भेजकर अवगत करायेंगे।

8—ऐसे अन्य कार्य जो शासन द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।

उप निदेशक (मुख्यालय) के कर्त्तव्य एवं दायित्व

1—अभियोजन निदेशालय के अधिष्ठान के आहरण तथा वितरण अधिकारी होंगे।

2—विधिक तथा प्रशासकीय मामले में निदेशक की सहायता करेंगे व उन्हें उचित परामर्श देंगे।

3—निदेशालय के अधीनस्थ कर्मचारियों के चरित्र एवं आचरण की वार्षिक प्रविष्टियों के रिपोर्टिंग अधिकारी होंगे तथा निदेशक को उन्हें अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

4—वह अन्य कार्य जिन्हें निदेशक द्वारा उन्हें समय-समय पर सौंपा जायेगा।

क्षेत्रीय उपनिदेशक अभियोजन के कर्त्तव्य एवं दायित्व

1—अपने कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष होंगे।

2—अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के अधिष्ठान के आहरण तथा वितरण अधिकारी होंगे।

3—अपने क्षेत्र के समस्त ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों पर उनका प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा।

4—ऐसे जटिल मामलों जिनमें ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा उनसे परामर्श मांगा जाये, उन्हें अपना परामर्श देंगे।

5—अपने क्षेत्र के ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों/अभियोजन अधिकारियों के कार्य का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे व क्षेत्र के अभियोजन की स्थिति से अभियोजन निदेशक को आवधिक विवरण भेजकर अवगत करायेंगे।

6—क्षेत्र के ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों की चरित्र पंजिकाओं में उनके कार्य तथा आचरण की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में अंकित करेंगे तथा अनुमोदन हेतु उन्हें अभियोजन निदेशक को भेजेंगे। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के अभियोजन सहायक अभियोजन/अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियों के अनुमोदन अधिकारी होंगे।

6—(ए) संबंधित उप पुलिस महानिरीक्षकों के विधि सलाहकार होंगे।

7—ऐसे कार्य जो शासन अथवा निदेशक द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों के कर्त्तव्य एवं दायित्व

1—ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अपने जिले के अभियोजन अधिकारियों सहायक अभियोजन अधिकारियों व अन्य अधीनस्थ स्टाफ के प्रभारी अधिकारी होंगे।

2—जिले के समस्त अभियोजन अधिकारियों/सहायक अभियोजन अधिकारियों तथा अपने कार्यालय स्टाफ के आहरण व वितरण अधिकारी होंगे।

3—जिले के अभियोजन अधिकारियों/सहायक अभियोजन अधिकारियों के कार्य तथा आचरणकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अंकित करेंगे तथा उन्हें अनुमोदनार्थ क्षेत्रीय उपनिदेशक अभियोजन को भेजेंगे।

4—जटिल व महत्वपूर्ण फौजदारी वादों की पैरवी स्वयं मैजिस्ट्रेट कोर्ट में करेंगे तथा अपने अधीनस्थ अभियोजन अधिकारियों/सहायक अभियोजन अधिकारियों को मार्गदर्शन देंगे तथा उनके कार्य का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे और जिले की अभियोजन की स्थिति के सम्बन्ध में आवधिक विवरण क्षेत्रीय उप निदेशक अभियोजन व अभियोजन निदेशक को भेजा करेंगे।

5—वह जिला पुलिस अधीक्षक को उन सभी फौजदारी वादों में परामर्श देंगे जिन्हें जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें परामर्श हेतु भेजा जायेगा।

5 (ए)—रेंज मुख्यालय पर पुलिस उप महानिरीक्षक के विधि सलाहकार होंगे।

6—ऐसे अन्य कार्य जो समय-समय पर क्षेत्रीय उप निदेशक अथवा निदेशक व जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा सौंपा जाये।

नोट—जिन जिलों में अभियोजन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी होंगे वहां पर अभियोजन अधिकारी द्वारा उन सभी कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा जिनका निर्वहन अन्य जिलों में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी के कर्तव्य

1—मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में फौजदारी वादों को शासन की ओर से पैरवी करना।

2—ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के कार्य में सहायता देना व उनके मार्गदर्शन में कार्य करना।

3—जिला पुलिस अधीक्षक] को अभियोजन के मामलों में विधिक परामर्श देना।

4—व्यक्ति व माल की शिनाख्त कार्यवाही में सहायता करना।

5—दोष मुक्ति (Aquittal) रिपोर्ट तैयार करना।

अनुलग्नक—6

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, अभियोजन अधिकारी व सहायक अभियोजन अधिकारियों का वर्तमान स्वीकृत नियतन

क्रमांक	पदनाम	स्थायी	अस्थायी	कुल
1	2	3	4	5
1	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	14	46	60
2	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (सेलेक्शन ग्रेड)	..	2	2
3	अभियोजन अधिकारी	71	56	127
4	सहायक अभियोजन अधिकारी	442	234	726

ख—सहवर्ती स्टाफ जो पुलिस विभाग द्वारा दिया गया है

जिला स्तर पर अभियोजन कार्य के लिये नियुक्त ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अभियोजन अधिकारी तथा सहायक अभियोजन अधिकारी के सहायतार्थ पुलिस महानिरीक्षक द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की संख्या पद नाम तथा वेतनमान।

क्रम-संख्या	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतन मान	आय-व्ययक लेखा शीर्षक
1	2	3	4	5
1	एस0 आई0 (एम)—ग्रेड—4 प्रधान प्रतिलिपिकार	51	250—425	255—पुलिस आयोजनेतर—व जिला पुलिस।
2	ए0 एस0 आई0 (एम) (प्रतिलिपिकार)	264	230—385	(1) (क) जिला पुलिस मुख्यालय एवं 299 विभाग एवं पिछड़े हुए क्षेत्र।
3	अर्दली चपरासी—	11	165—215	'पर्वतीय क्षेत्र 'क' निदेशक
	परसनल/कार्यालय—	51	165—215	पुलिस जिला पुलिस मुख्यालय।

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 102 (सा0 गृह)—9—12—80—(2898)—1981—1,500 (हि0)।